

फर्द अहकाम

राजेन्द्र सिंह

बनाम

बलवीर सिंह वगै०

यालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 37/2025

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----	---------------------------	----------------------	-------------

25.03.2025

अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.04.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

4.4.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उर्फ वारी अपने वाद को धागे नहीं चलाता चाहता है इसलिए अधिवक्ता वारी द्वारा वाद Not Press करने की अनुमति मांगी गयी। अधिवक्ता वारी के निवेदन पर वाद Not Press करने की अनुमति प्रदान की गयी। वारी का वाद Not Press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नौसल शुमार होकर नवंबर से कम होकर दायित्व इफ्तार ही।

Not Press
जुलै
अप्रैल 2025
गवर्गोए

QSG
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर